

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, जौनपुर।  
फौजदारी प्रकीर्ण-15/ 2024  
मो० राशिद--बनाम--स्टेट

### आदेश

**07.03.2026**

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर पक्षकार अनुपस्थित है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पक्षकार विगत कई तिथियों से न्यायालय में लगातार अनुपस्थित चल रहे हैं उनकी ओर से कोई स्थगन प्रार्थनापत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त परिस्थितियों में पक्षकार की अनुपस्थिति के कारण फौजदारी प्रकीर्ण खारिज की जाती है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम,  
जौनपुर।